ई–मेल/तुरन्त

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प. 12 (6) शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 04-5-16

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर –सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2016–17 से प्रभावी प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य की समस्त गैर – सरकारी शिक्षण संस्थाओं मे शैक्षिक सत्र 2016–17 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश का कार्य इस कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक प.12(6) शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट दिनांक 30.03.2016 के अनुसरण में किया जा रहा है । माननीय उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ, जयपुर में डी.बी.में दाखिल सिविल रिट पिटिसन (पी. आई.एल.) संख्या 4630/2016 (अम्युथानम सोसाइटी बनाम राज्य सरकार) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अंतरिम आदेश दिनांक 03.05.2016 के अनुसरण में शैक्षिक सत्र 2016–17 में निःशुल्क सीटों पर चल रही प्रवेश प्रक्रिया जो दिनांक 05.05.2016 को नियत थी, को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है।

उक्त आदेश को अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा गैर–सरकारी विद्यालयों में शीघ्र प्रसारित करवाने का श्रम करें ।

भवदीय,

(नसीरूद्दीन कुरैशी)
व.शासन उप सचिव
शिक्षा– ग्रुप–5

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
4. संयुक्त शासन सचिव, प्रार.शिक्षा (आयोजना)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आरटीई वेब–पोर्टल पर प्रदर्शित करवाने तथा ई–मेल के माध्यम से गैर–सरकारी विद्यालयों को प्रेषित करवाने का श्रम करें ।
6. रक्षित पत्रावली ।

लेखाधिकारी